

The Premium Flats

परिषद के 51वें स्थापना दिवस
एवं नवरात्रि के शुभ अवसर पर
स्व-वित्त पोषित आवास
योजना-2016 में
2 BHK एवं 3 BHK

प्रीमियम प्लैट्स

प्राप्त करने का
सर्वोत्तम अवसर

फ्लैट प्राइम लोकेशन
लखनऊ-रायबरेली मुख्य मार्ग
(वृद्धावन योजना से.-3)
पर स्थित है

पंजीकरण पुस्तिका-2016



3.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in

पंजीकरण : 06 अप्रैल, 2016 से 31 मई, 2016 तक



**प्रीमियम
फ्लैट्स**

वृन्दावन योजना सं0-2, सेक्टर-3, रायबरेली रोड, लखनऊ

विशेष आकर्षण :

1. भूकम्परोधी शियरवाल / फ्रेम स्ट्रक्चर तकनीक आधारित 12 मंजिले टावर।
2. वृन्दावन उपनगरी में लखनऊ रायबरेली मेन रोड से लगी 30 मी. चौड़ी सड़क से सीधी एप्रोच वाली प्राइम लोकेशन
3. सरदार पटेल डेण्टल कालेज, मिलेनियम क्लब / पार्क, कालिंदी वन पार्क, एस.के.डी. एकेडमी, लखनऊ पब्लिक स्कूल के सन्निकट।
4. सामान्य सेवाओं हेतु 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, 2 BHK हेतु 1 किलोवाट तथा 3 BHK हेतु 1.5 किलोवाट का पावर बैकअप।
5. बड़े आकार के ड्राइंग रूम, डायनिंग हाल एवं बालकनीज का प्राविधान।
6. आकर्षक लैण्डस्केप सहित हरित पटिटका।
7. 02 लिफ्ट प्रति टावर, कैरेज लिफ्ट का भी प्राविधान।
8. स्वीमिंग पूल, हेल्थ क्लब, जिम एवं शॉप्स का प्राविधान।
9. परिसर में 500 वर्ग मी. का क्लब हाउस / कम्यूनिटी सेन्टर।
10. वाउण्ड्रीवाल से सुरक्षित परिक्षेत्र।
11. एक से अधिक कार पार्किंग की समुचित सुविधा।





उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

परिषद ने ग्राहकों की
शिकायतों व समस्याओं के निरतारण के लिए
जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत
व समस्या दर्द करा सकते हैं। डायल करें :

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्द दिवस में प्रातः 10.00 बजे
से सांय 6.00 बजे तक उपलब्ध है।

The Premium Flats



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ. Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in

maleshwari & sons
maleshwari@rediffmail.com
Lucknow (0522) 4071816


Front View of 2 BHK Flats सेवोत्तम प्रमाणित

मूल्य : ₹ 476.00+24.00 वैट चार्ज = ₹ 500/-





प्रस्तावित 2 BHK घरों का फ्रंट व्यू

The Premium Flats



The Premium Flats

Site Location Plan



The Premium Flats

Landscape Plan / Layout Plan



The Premium Flats

Arial View of Proposed Flats




The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET/INCHES
1	DRAWING /DINNING	4400X6115	14'-6"X20'-5"
2	KITCHEN	2515X2493	8'-5"X8'-4"
3	STORE	1600X2500	5'-4"X8'-4"
4	BED ROOM 02	3715X3000	12'-5"X10'-0"
5	TOILET 02	1550X2390	5'-8"X5'-0"
6	BED ROOM 01	3600X4744	12'-0"X15'-10"
7	TOILET 01	2215X1560	7'-5"X5'-2"
8	BALCONY	3430X1500	11'-5"X5'-0"
9	BALCONY	3935X1500	13'-1"X5'-0"
10	BALCONY	5215X1500	17'-4"X5'-0"

UNIT AREA = 88.19 sq.mt.
 CIRCULATION AREA = 21.94 sq.mt
 BALCONY AREA = 18.86 sq.mt
 SUPER AREA = 128.99 sq.mt
 CARPET AREA = 76.87 sq.mt
 PLINTH AREA = 110.13 sq.mt



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -48

2BHK UNIT+ STORE TYPE 01

The Premium Flats



2BHK UNIT + STORE TYPE -01


ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET//INCHES
1	DRAWING/DINNING	4400X8115	14'-8"X20'-5"
2	KITCHEN	2815X2493	8'-5"X8'-4"
3	STORE	1800X2500	5'-4"X8'-4"
4	BED ROOM 02	3715X3000	12'-5"X10'-0"
5	TOILET 02	1680X2390	5'-6"X8'-0"
6	BED ROOM 01	3657X4744	12'-2"X15'-10"
7	TOILET 01	2215X1560	7'-5"X5'-2"
8	BALCONY	3430X1500	11'-5"X5'-0"
9	BALCONY	3936X1500	13'-1"X5'-0"
10	BALCONY	5215X1500	17'-4"X5'-0"

UNIT AREA	=87.41 sq.mt
CIRCULATION AREA	=21.94 sq.mt
BALCONY AREA	=18.86 sq.mt
SUPER AREA	=128.21 sq.mt
CARPET AREA	=76.87 sq.mt
PLINTH AREA	=109.35 sq.mt



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -96

2BHK UNIT+ STORE TYPE 02

The Premium Flats



2BHK UNIT + STORE TYPE -02


ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET/INCHES
1	DRAWING /DINNING	3600X6115	12'-0"X20'-5"
2	KITCHEN	2515X2493	8'-5"X8'-4"
3	BED ROOM 02	3715X3000	12'-5"X10'-0"
4	TOILET 02	1650X2390	5'-8"X8'-0"
5	BED ROOM 01	3657X4744	12'-2"X15'-10"
6	TOILET 01	2215X1580	7'-5"X5'-2"
7	BALCONY	3430X1500	11'-6"X5'-0"
8	BALCONY	3935X1500	13'-1"X5'-0"
9	BALCONY	5215X1500	17'-4"X5'-0"

UNIT AREA	=80.71 sq.mt
CIRCULATION AREA	=21.94 sq.mt
BALCONY AREA	=18.86 sq.mt
SUPER AREA	=121.51 sq.mt
CARPET AREA	=71.54 sq.mt
PLINTH AREA	=102.65 sq.mt



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -48

2BHK UNIT TYPE 03


The Premium Flats



2BHK UNIT TYPE -03



ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET & INCHES
1	DRAWING ROOM	3600x8288	12'-0"X20'-11"
2	DINING ROOM	6430x2172	10'-1"X10'-7"
3	KITCHEN	2256x4190	7'-7"X13'-9"
4	BED ROOM 03	3600x3800	12'-0"X10'-0"
5	TOILET 03	1915x2215	6'-5"X7'-5"
6	BED ROOM 02	3600x3000	12'-0"X10'-0"
7	TOILET 02	1815x2215	6'-5"X7'-5"
8	BED ROOM 01	3718x3970	12'-5"X13'-3"
9	TOILET 01	2400x1800	8'-0"X6'-0"
10	BALCONY	6300x1500	17'-8"X5'-0"
11	BALCONY	1625x1500	5'-1"X5'-0"
12	BALCONY	5580x1500	18'-7"X5'-0"

UNIT AREA = 119.59 sq.mt
 CIRCULATION AREA = 19.99 sq.mt
 BALCONY AREA = 19.66 sq.mt
 SUPER AREA = 159.24 sq.mt
 GROUND AREA = 103.47 sq.mt
 PLINTH AREA = 139.58 sq.mt



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -36

3BHK UNIT TYPE 01


The Premium Flats



3BHK UNIT TYPE -01


ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET/INCHES
1	DRAWING ROOM	3600x3288	12'-0"X20'-11"
2	DINNING ROOM	5430x3172	18'-1"X10'-7"
3	KITCHEN	1600x3615	6'-1"X12'-1"
4	BED ROOM 03	3600x3500	12'-0"X10'-0"
5	TOILET 03	5915x2216	6'-6"X7'-6"
6	BED ROOM 02	3600x3500	12'-0"X10'-0"
7	TOILET 02	1915x2215	6'-8"X7'-6"
8	BED ROOM 01	3716x3570	12'-6"X13'-3"
9	TOILET 01	2460x3160	8'-0"X6'-0"
10	BALCONY	5330x1500	17'-6"X5'-0"
11	BALCONY	1525x1500	5'-1"X5'-0"
12	BALCONY	5860x1500	18'-7"X5'-0"
13	SERVANT ROOM	2580x3015	8'-6"X10'-1"
14	TOILET	5915x1500	6'-1"X5'-0"

UNIT AREA = 129.82 sq.m.
 CIRCULATION AREA = 19.99 sq.m.
 BALCONY AREA = 19.66 sq.m.
 SUPER AREA = 189.47 sq.m.
 CARPET AREA = 113.66 sq.m.
 PLINTH AREA = 149.81 sq.m.



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -24

3BHK UNIT+ SERVANT ROOM TYPE 02

The Premium Flats



3BHK UNIT + SERVANT ROOM TYPE -02


ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET/INCHES
1	DRAWING ROOM	3600x8288	12'-0"X20'-11"
2	DINNING ROOM	5430x3172	18'-1"X10'-7"
3	KITCHEN	1800x3615	6'-0"X12'-1"
4	BED ROOM 03	3900x3900	12'-0"X10'-0"
5	TOILET 03	1815x2215	6'-0"X7'-5"
6	BED ROOM 02	3900x3900	12'-0"X10'-0"
7	TOILET 02	1815x2215	6'-0"X7'-5"
8	BED ROOM 01	3716x2970	12'-5"X12'-3"
9	TOILET 01	2457x1800	8'-2"X6'-0"
10	BALCONY	6400x1500	18'-7"X5'-0"
11	BALCONY	5580x1500	18'-7"X5'-0"
12	SERVANT ROOM	2550x3015	8'-6"X10'-1"
13	TOILET	1515x1500	5'-1"X5'-0"

UNIT AREA = 129.82 sq.mt
 CIRCULATION AREA = 19.99 sq.mt
 BALCONY AREA = 17.97 sq.mt
 SUPER AREA = 167.76 sq.mt
 CARPET AREA = 113.73 sq.mt
 PLINTH AREA = 149.91 sq.mt



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -48

3BHK UNIT+ SERVANT ROOM **TYPE 03**


The Premium Flats



3BHK UNIT + SERVANT ROOM TYPE -03


ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET & INCHES
1	DRAWING ROOM	3600x3600	12'-0"X12'-0"
2	DINING ROOM	5430x3172	18'-1"X10'-2"
3	KITCHEN	2700x4130	9'-0"X13'-8"
4	BED ROOM 03	3600x3000	12'-0"X10'-0"
5	TOILET 03	1015x2215	0'-8"X7'-6"
6	BED ROOM 02	3600x3000	12'-0"X10'-0"
7	TOILET 02	1015x2215	0'-8"X7'-6"
8	BED ROOM 01	3716x3870	12'-6"X13'-2"
9	TOILET 01	2400x1800	8'-0"X6'-0"
10	BALCONY	6330x1500	17'-6"X5'-0"
11	BALCONY	5560x1500	18'-7"X5'-0"

UNIT AREA = 121.03 sq.mt.
 CIRCULATION AREA = 19.99 sq.mt.
 BALCONY AREA = 17.97 sq.mt.
 SUPER AREA = 158.99 sq.mt.
 CARPET AREA = 105.68 sq.mt.
 PLINTH AREA = 141.02 sq.mt.



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT - 36

3BHK UNIT TYPE 04

The Premium Flats



3BHK UNIT TYPE -04


ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET/INCHES
1	DRAWING ROOM	3600x5288	12'-0"x20'-11"
2	DINNING ROOM	5400x3172	18'-1"x10'-7"
3	KITCHEN	2260x4120	7'-7"x13'-8"
4	BED ROOM 03	3600x3000	12'-0"x10'-0"
5	TOILET 03	1915x2215	6'-5"x7'-5"
6	BED ROOM 02	3600x3000	12'-0"x10'-0"
7	TOILET 02	1915x2215	6'-5"x7'-5"
8	BED ROOM 01	3160x3870	12'-5"x13'-3"
9	TOILET 01	2400x1800	8'-0"x6'-0"
10	BALCONY	5350x1500	17'-6"x5'-0"
11	BALCONY	1525x1900	5'-1"x6'-10"
12	BALCONY	5680x1500	18'-7"x5'-0"

UNIT AREA = 119.59 sq.m.
 CIRCULATION AREA = 19.99 sq.m.
 BALCONY AREA = 17.97 sq.m.
 SUPER AREA = 157.55 sq.m.
 CARPET AREA = 103.47 sq.m.
 PLINTH AREA = 139.58 sq.m.



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -12

3BHK UNIT TYPE 05

The Premium Flats



3BHK UNIT TYPE -04&05


ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET-INCHES
1	DRAWING ROOM	3600x6290	12'-0"x20'-11"
2	DINNING ROOM	5430x3172	18'-1"x10'-7"
3	KITCHEN	1800x3615	6'-0"x12'-1"
4	BED ROOM 03	3600x3000	12'-0"x10'-0"
5	TOILET 03	1815x2215	6'-0"x7'-3"
6	BED ROOM 02	3600x3000	12'-0"x10'-0"
7	TOILET 02	1815x2215	6'-0"x7'-3"
8	BED ROOM 01	3716x3070	12'-5"x10'-7"
9	TOILET 01	2400x1600	8'-0"x5'-0"
10	BALCONY	1560x1500	10'-7"x5'-0"
11	BALCONY	15250x1500	10'-11"x5'-0"
12	BALCONY	1820x1500	12'-8"x5'-0"
13	SERVANT ROOM	2600x3015	8'-10"x10'-1"
14	TOILET	1515x1500	5'-11"x5'-0"

UNIT AREA = 129.82 sq.mt.
 CIRCULATION AREA = 19.95 sq.mt.
 BALCONY AREA = 16.05 sq.mt.
 SUPER AREA = 165.97 sq.mt.
 CARPET AREA = 113.66 sq.mt.
 PLINTH AREA = 149.81 sq.mt.



CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -12

3BHK UNIT+ SERVANT ROOM TYPE 06

The Premium Flats



3BHK UNIT + SERVANT ROOM TYPE -02&06



ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats



S.NO	LEGEND	METRIC	FEET & INCHES
1	DRAWING ROOM	3600x8298	12'-0"X26'-11"
2	DINNING ROOM	5430x3172	18'-1"X10'-7"
3	KITCHEN	1800x3615	6'-0"X12'-1"
4	BED ROOM 01	3600x3000	12'-0"X10'-0"
5	TOILET 01	1915x2215	6'-5"X7'-5"
6	BED ROOM 02	4610x3800	15'-4"X12'-0"
7	TOILET 02	1800x2400	6'-0"X8'-0"
8	BED ROOM 01	3710x8000	12'-5"X26'-3"
9	TOILET 01	1915x2400	6'-5"X8'-0"
10	BALCONY	2520x1500	8'-6"X5'-0"
11	BALCONY	5580x1500	18'-7"X5'-0"
12	SERVANT ROOM	2550x3015	8'-6"X10'-1"
13	TOILET	1515x1500	5'-1"X5'-0"

UNIT AREA = 149.97 sq.mt
 CIRCULATION AREA = 19.99 sq.mt
 BALCONY AREA = 11.64 sq.mt
 SUPER. AREA = 181.8 sq.mt
 CARPET AREA = 132.35 sq.mt
 PUNTH AREA = 169.90 sq.mt



3BHK UNIT+ SERVANT ROOM **TYPE 07**

The Premium Flats



3BHK UNIT + SERVANT ROOM TYPE -07

ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats

CLUSTER PLAN
TOTAL NO OF UNIT -12

S.NO	LEGEND	METRIC	FEET & INCHES
1	DRAWING ROOM	2600x1200	12'-0" x 0'11"
2	DINNING ROOM	5400x2175	18'-1" x 10'-7"
3	KITCHEN	2700x14190	9'-0" x 13'-0"
4	BED ROOM 03	3600x2600	12'-0" x 0'0"
5	TOILET 03	1915x2215	6'-5" x 7'5"
6	BED ROOM 02	3600x2600	12'-0" x 0'0"
7	TOILET 02	1915x2215	6'-5" x 7'5"
8	BED ROOM 01	3710x2670	12'-5" x 13'-3"
9	TOILET 01	2400x1800	8'-0" x 0'0"
10	BALCONY	5330x1500	17'-3" x 0'0"
11	BALCONY	1625x1500	5'-1" x 0'0"
12	BALCONY	5463x1500	18'-7" x 0'0"

UNIT AREA ≈121.00 sq.mt.
CIRCULATION AREA ≈19.99 sq.mt.
BALCONY AREA ≈19.66 sq.mt.
SUPER AREA ≈160.68 sq.mt.
CARPET AREA ≈105.68 sq.mt.
PLINTH AREA ≈141.02 sq.mt.

3BHK UNIT TYPE 08

The Premium Flats



3BHK UNIT TYPE -01 &08

ALL ISOMETRIC VIEWS ARE INDICATIVE AND ARE FOR THE PURPOSE OF VISUALISING SPACES

The Premium Flats

शहर के प्रमुख स्थलों से न्यूनतम दूरी :

पी.जी.आई : 01 कि.मी.

केजीएमसी ट्रामा सेन्टर-2 : 02 कि.मी.

एयर पोर्ट : 7 कि.मी.

चारबाग रेलवे स्टेशन : 7 कि.मी.

शहीद पथ : सामने

रायबरेली रोड : बगल में

सरदार पटेल इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंस : सामने

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय : 3 कि.मी.

कालिन्दी पार्क : 0.5 कि.मी.

मिलेनियम क्लब : बगल में

एस.के.डी./एल.पी.एस. पब्लिक स्कूल : पास में



चारबाग रेलवे स्टेशन

चौ.चरण सिंह एयरपोर्ट



एस.जी.पी.जी.आई.

शहीद पथ

The Premium Flats



The Premium Flats



30 मी. चौड़ी सड़क साइट की एप्रोच रोड

The Premium Flats



वृन्दावन योजना स्थित मिलेनियम क्लब

The Premium Flats



सरदार पटेल डेण्टल कालेज

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन/फ्लैट्स आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

The Premium Flats

- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

The Premium Flats

परियोजना का विवरण

परिषद द्वारा लखनऊ—रायबरेली रोड पर वृन्दावन योजना नामक बृहत आवासीय योजना संचालित एवं विकसित की जा रही है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक कुल 20 सेक्टर हैं। इस योजना के प्राइम लोकेशन : सेक्टर—3 में बहुमंजिले प्रीमियम फ्लैट्स का निर्माण किया जाना है। इस आवासीय परियोजना में 2 बी.एच.के. : टाईप 1—3 एवं 3 बी.एच.के. : टाईप 1—8 तक के कुल 384 नग फ्लैट्स का पंजीकरण एस.एफ.एस.—2016 के अन्तर्गत खोला जा रहा है। परियोजना के फ्लैट्स का विवरण निम्नवत है :

1. फ्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैटों की संख्या	सुपर एरिया (व.मी.)	कारपेट एरिया (व.मी.)	प्राविधान
1.	2 BHK (Type:03)	48	120.00	71.54	1 ड्राइंग / डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, 2 टावयलेट, 3 बालकनी, 1 किचेन
2.	2 BHK + Store (Type: 1,2)	144	130.00	76.87	1 ड्राइंग / डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, 1 स्टोर, 2 टावयलेट, 3 बालकनी, 1 किचेन
3.	3 BHK (Type : 1,4,5,6,8)	108	160.00	105.68	1 ड्राइंग / डायनिंग रूम, 3 बेडरूम, 3 टावयलेट, 3 बालकनी, 1 किचेन
4.	3 BHK + Servant Room (Type : 2,3)	72	170.00	113.68	1 ड्राइंग / डायनिंग रूम, 3 बेडरूम, 1 सरवेंट रूम, 4 टावयलेट, 3 बालकनी, 1 किचेन
5.	3 BHK (Superb) + Servant Room (Type :7)	12	180.00	132.35	1 ड्राइंग / डायनिंग रूम, 3 बेडरूम, 1 सरवेंट रूम, 4 टावयलेट, 2 बालकनी, 1 किचेन

नोट :

- उपरोक्तानुसार विभिन्न टाईप के फ्लैट्स का भुगतान आवंटी को वास्तविक सुपर एरिया के अनुसार करना होगा।
- सर्विस टैक्स नियमानुसार देय होगा।
- उपरोक्त फ्लैट्स से कारपोरेट के रूप में जो संस्था अथवा ग्रुप एक साथ फ्लैट्स लेने के इच्छुक होंगे उन्हें पूरा टावर आवंटित करने में यथासम्भव वरीयता दी जायेगी।
- पंजीकरण एवं समस्त धनराशि का भुगतान बैंक ड्रापट / बैंकर्स चेक जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ शहर में देय हो जमा करना होगा।
- फ्लैट्स क्रय हेतु बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध।
- पात्र पंजीकरण आवेदकों के आधार पर फ्लैटों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है।

The Premium Flats

उपलब्ध प्लैटों का विवरण

सम्पत्ति का विवरण						अनुमानित लागत	03 वर्ष में त्रैमासिक किश्तों में भुगतान विवरण		
क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	मंजिले	फ्लैट्स की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (व.मी.)	सुपर एरिया (व.मी.)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 60 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष भुगतान 12 तिमाही किश्तों में प्रत्येक किश्त की धनराशि (रु. लाख में)
1.	<u>2BHK</u> Type-3	B+S+12	48	71.54	121.51	51.99	2.60	5.23	3.68
2.	<u>2BHK+Servent</u> Type-1 Type-2	B+S+12 B+S+12	48 96	76.87 76.87	128.99 128.21	56.32 56.32	2.80 2.80	5.64 5.64	3.99 3.99
3.	<u>3 BHK</u> Type-1 Type-4 Type-5 Type-6 Type-8	B+S+12 B+S+12 B+S+12 B+S+12 B+S+12	36 36 12 12 12	103.47 105.68 103.47 113.68 105.68	159.24 158.99 157.55 165.87 160.68	69.32 69.32 69.32 69.32 69.32	3.45 3.45 3.45 3.45 3.45	6.95 6.95 6.95 6.95 6.95	4.91 4.91 4.91 4.91 4.91
4.	<u>3 BHK+Servent</u> Type-2 Type-3	B+S+12 B+S+12	24 48	113.68 113.73	169.47 167.78	73.65 73.65	3.70 3.70	7.43 7.43	5.21 5.21
5.	<u>3 BHK Superb + Servent</u> Type-7	B+S+12	12	132.35	181.80	77.98	3.90	7.84	5.52

The Premium Flats

1. फ्लैट्स की विशिष्टियां

- फ्लैट्स के निर्माण पद्धति : फ्रेम स्ट्रक्चर / शियरवाल पद्धति
- कमरे : फर्श में विट्रीफाइड टाइल
- किचन : फर्श में ऐन्टी स्किड टाइल, कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाइट एवं दीवारों पर कुकिंग प्लेटफार्म से 0.60 मी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल।
- ट्वायलेट : फर्श में ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर 2.10 मी. ऊँचाई तक ज्वाइंट लेस सेरेमिक टाइल्स
- कामन एरिया व स्टेयर केस : कोटा स्टेन फ्लोरिंग
- डोर फ्रेम : बाहरी दरवाजे—सालवुड (डबल पताम) व शेष सालवुड (सिंगल पताम)
- विन्डो फ्रेम : यू.पी.वी.सी.
- डोर शटर : बाहरी दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य फलश डोर
- विन्डो शटर : फुल्ली ग्लेज्ड यू.पी.वी.सी. शटर
- डोर एवं विन्डो फिटिंग्स : आई.एस.आई. मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स एवं मुख्य द्वार पर मार्टिस लॉक / सेपटी लैच चेन / मैजिक आई
- आन्तरिक जलापूर्ति : सी.पी.वी.सी. पाइप, उच्च श्रेणी की सी.पी. फिटिंग्स व किचन में स्टेनलेस स्टील सिंक ड्रेन बोर्ड के साथ।

The Premium Flats

- आन्तरिक सेनेटरी कार्य : प्रथम ट्रायलेट में उड़ीसा पैन लो लेवल सिस्टर्न के साथ, द्वितीय ट्रायलेट की दशा में यूरोपियन शीट लो लेवल सिस्टर्न के साथ।
- विद्युत कार्य : आई.एस.आई. मार्क अग्निरोधक कॉपर वायरिंग मॉड्यूलर टाइप स्विच व प्लग।
- फिनिशिंग : बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिश, आन्तरिक सतह पर ऑयल बाउण्ड डिस्ट्रेम्पर मय पी.ओ.पी. फिनिश, दरवाजों / खिड़कियों पर एनामिल पेन्ट, छत पर दीवारों के जंक्शन पर कार्निश।
- अन्य कार्य :
 1. टैरेस पर रूफ ट्रीटमेन्ट।
 2. टैरेस पर प्रत्येक टावर हेतु संयुक्त रूप से आर.सी.सी. टैंक।
 3. सम्पूर्ण परिसर बाउण्ड्रीवाल से कवर्ड।
 4. परिसर में हेल्थ क्लब, जिम, कम्यूनिटी सेन्टर, स्वीमिंग पूल, शॉपस का प्राविधान।
 5. कार पार्किंग का प्राविधान।
 6. परिसर हेतु अलग से विद्युत ट्रांसफार्मर, जैनसेट से पावर बैकअप का प्राविधान।
 7. परिसर में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर / एल.ई.डी. लाइटों का प्राविधान।
 8. भारी सामग्री के आवागमन हेतु प्रत्येक टावर में कैरेज लिफ्ट का प्राविधान।
 9. काल वेल, इण्टरकाम सिस्टम का प्राविधान।

The Premium Flats

2. प्राविधान/शर्तें:

- उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। उक्त निर्माण 42 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किश्तों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणों जैसे फ्लैट्स निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व अनुमानित निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है। आवंटी द्वारा सर्विस टैक्स, विद्युत कनेक्शन व्यय स्वयं वहन करने होंगे।
- भुगतान ब्याज रहित निर्धारित 12 त्रैमासिक किश्तों में करना होगा।
- फ्लैट्सों की टाइप डिजाइन व ले—आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
- प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- बेसमेंट में कवर्ड कार पार्किंग एरिया रु. 1.75 लाख प्रति कार, स्टिल्ट में कवर्ड कार पार्किंग एरिया रु. 2.00 लाख प्रति कार एवं ओपेन कार पार्किंग एरिया में रु. 1.25 लाख प्रति कार की दर से अतिरिक्त देय होगा। पार्किंग का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जायेगा। अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त निर्धारित मूल्यों पर देय होगी।
- फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को “कॉर्पस फण्ड” में फ्लैट के विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत भौतिक कब्जा से पूर्व देना होगा। इन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कॉर्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति को अनुरक्षण अपने स्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- सुपर एरिया पर रु. 1.50 प्रति वर्ग फिट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे—लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सिक्योरिटी गार्ड, विद्युत बिल, सफाई आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। जो समय-समय पर रख-रखाव एजेन्सी यथा परिषद्/रेजीडेन्ट सोसाइटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप घटाया-बढ़ाया जा सकेगा।
- प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।
- सुरक्षा एवं सुविधा हेतु एन्क्लेव परिसर की बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में मल्टीपरपज हाल/कम्यूनिटी सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।

The Premium Flats

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- 3.4 इस परियोजना के अन्तर्गत जिन आवेदकों के नाम लखनऊ महानगर में पूर्व से भवन / फ्लैट्स हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं।

4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन—पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक निर्दिष्ट बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति—पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति—पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन योजना, लखनऊ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन योजना, लखनऊ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स का कब्जा नहीं प्रदान कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

The Premium Flats

- 4.7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा उक्त योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8. इस योजना के अन्तर्गत सीमित संख्या में फ्लैट्स के उपलब्धता के कारण प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

- 5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन/आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 60 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना होगा तथा शेष धनराशि ब्याज रहित निर्धारित 12 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के माध्यम से स्वीकार होगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन के अन्दर पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर विक्रय मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।
- 5.3 मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा पंजीयन/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5.4 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 5.5 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा। सेवाकर नियमानुसार फ्लैट्स के कुल मूल्य पर आवंटी को देना होगा जो समय—समय पर संशोधित हो सकता है।
- 5.6 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो ००प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। मांग—पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम:

- 6.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार आरक्षण की सुविधा नियमानुसार अनुमन्य।

The Premium Flats

- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन / आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि / कसी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।



The Premium Flats

7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	_____तदैव_____
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	_____तदैव_____
4	माठ विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संरक्षण, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन—पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रामण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन—पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोट :— उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण—पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन—पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे।

भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :-

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू—विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

The Premium Flats

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते से वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

- 9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 42 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / (सेल डीड) कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु0—50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही भी सम्भव हो सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवासन हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमत्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समर्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट अंतरण करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में अंतरण अनुमत्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

The Premium Flats

बैंकों की शारखाओं के नाम व पते जहाँ से प्रीमियम प्लैट्स सेक्टर-3, वृन्दावन योजना की पंजीकरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित प्राप्त करने एवं जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीकरण 06 अप्रैल, 2016
से प्रारम्भ

पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने हेतु
अंतिम तिथि 31 मई, 2016

क्रमांक	बैंक का नाम	पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं.
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	ए-1/4 सेक्टर-ए सहारा भवन के पीछे, अलीगंज, लखनऊ	श्री आर.के. चतुर्वेदी	0522-2334793 8090004147
2.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	महावीर पुष्पा देवी पाण्डे काम्पलेक्स नियर डेण्टल कालेज, रायबरेली रोड लखनऊ	श्रीमती पर्णिका रस्तोगी	0522-2443951 9198573585
4.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	73, हजरतगंज, लखनऊ	श्री एम.एफ. नूर	0522-1511167 09918002158
3.	आई.सी.आई.सी.आई.	गुरु तेग बहादुर काम्पलेक्स, सीपी-4 यू.पी.आई.एल., नाका हिण्डोला, लखनऊ	श्री समित विजय	0522-6566819 8853098438
5.	आई.डी.बी.आई. बैंक	173/29 डॉ. बी.एन. वर्मा रोड अमीनाबाद, लखनऊ	श्रीमती नीलम रैना	0522-6500234, 6500233 9918786414, 9918002005
6.	एक्सेस बैंक	विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	श्री मनीष सिंह	8795820501

आनलाईन :

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जवाहर भवन, लखनऊ – श्री एस.एन. सिंह (सहायक महाप्रबन्धक) मो. : 8005488945

नोट :

- * उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क रु. 500/- देकर प्रचार अनुभाग उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय समय में उपलब्ध होंगी।
- * पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उपरोक्त उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

The Premium Flats

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 6) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
- 3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-8 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में 'HW' भरें।
- 9 फ्लैट / सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से 2BHK एवं 3BHK में उपलब्ध फ्लैट्स के प्रकारों में से किसी एक को भरना होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछ़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा० विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

The Premium Flats

मुख्य परिभाषाएँ

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ—जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:—

आवेदक का परिवार :—

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :—

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :—

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :—

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :—

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पौंड, यूएसडॉलर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेंक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :—

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :—

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

The Premium Flats

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि / भवन परिषद द्वारा अधिगृहीत की गयी हों।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बैंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

The Premium Flats

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

परिशिष्ट-अ

शहर	कोड	आरक्षण श्रेणी	कोड
लखनऊ	077	अनुसूचित जाति	01
योजना	कोड	अनुसूचित जन जाति	02
वृन्दावन योजना सं.-2	220	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	03
सम्पत्ति श्रेणी	कोड	अनारक्षित	04
2 BHK (Type-3)	2A	हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
2 BHK (Type-1,2)	2B	विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
3 BHK (Type 1,4,5,6,8)	3A	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के	G
3 BHK +Servant Room (Type-2,3)	3B	कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर	
3 BHK Superb + Servant Room (Type-7) 3C		चुके हों।	
लिंग	कोड	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास	B
स्त्री	F	प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका	
पुरुष	M	व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	HW	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके	
भुगतान	कोड	आश्रित	R
नगद	01	समाज के विकलांग व्यक्ति	
निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पूर्ण मूल्य जमा करने		वृद्धजन	D
पर 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी		विस्थापित	O
किश्त	02		W

The Premium Flats

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के
अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

इं. यू.सी. सिंह
अधिशासी अभियंता, नि.ख.-11
मो. : 8795810064, 8795810481

योजना में पंजीकरण/आवंटन एवं धनराशि वापसी से सम्बन्धित जानकारी के लिए
परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं

श्री अनिल कुमार यादव
संयुक्त आवास आयुक्त
0522—2235839

डॉ. अनिल कुमार
उप आवास आयुक्त
मो. : 8795810229

श्री प्रभाष चन्द्र
वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी
मो. : 8795810736

श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
कनिष्ठ लेखाधिकारी
मो. : 8795811107

The Premium Flats

वृन्दावन योजना-2, सेक्टर-3 लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजना-2016 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रीमियम फ्लैट्स के आन-लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :—

प्रथम चरण (Step-1) :

आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Premium Flats, Vrindavan Yojna-2, Sector-3 Raebareli Road, Lucknow" पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा—नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई—मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण आन-लाइन फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी० / पासवर्ड के साथ—साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा—निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की ई—रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट—आउट में अंकित दिशा—निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात अगले कार्यदिवस (अपराह्न 12 बजे के बाद) में निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी :—

- ✓ Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"
- ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' will be available.
- ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(नोट—डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय हो के पक्ष एवं लखनऊ शहर में देय होना चाहिए।)

*MOPS: Multi Option Payment System

The Premium Flats

द्वितीय चरण (Step-2) :

अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के अगले कार्यदिवस (अपराह्ण 12 बजे के बाद) / पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com के लिंक Online Registration of flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No./Transaction ID (**DUxxxxxx..No**) भरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आईडी ० प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति / आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा—पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :—

"उप आवास आयुक्त
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय—वृन्दावन योजना,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
आफिस काम्पलेक्स प्रथम तल,
सेक्टर-९, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड,
लखनऊ(उ० प्र०)—२२६०२९"

नोट : उपरोक्त आनलाइन रजिस्ट्रेशन / पेमेन्ट से सम्बन्धित अन्य किसी भी जानकारी के लिए कृपया श्री अनूप जोशी, मो. : 8795810555, श्री विष्णु शर्मा 8795811595 पर सम्पर्क कर सकते हैं।